रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3693] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 2018/भाद्र 23, 1940
No. 3693] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 2018/BHADRA 23, 1940

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2018

का.आ. 4857(अ).—सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 3 के उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सांख्यिकीय समन्वय का कार्य देख रहे अपर महानिदेशक को पूर्वोक्त नियमावली के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग और दायित्वों के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एतद्वारा नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है। नोडल अधिकारी इस नियमावली के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ई) के अंतर्गत यथापेक्षित रिपोर्टें केंद्रीय सरकार को नीचे दी गई रीति के अनुसार प्रस्तुत करेंगे:-

(1) उनके पास रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, नोडल अधिकारी सांख्यिकीय संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रारंभन की तिथि, 16 मई 2011 तथा 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 तथा सांख्यिकीय संग्रहण नियमावली, 2011 की कार्यप्रणाली पर अधिकतम नवम्बर, 2018 के अंत तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(2) वर्ष 2018-19 से आरंभ हो रहे वित्त वर्षों के लिए नोडल अधिकारी प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्टें इस अधिसूचना की अनुसूची में दिए गए प्रारूप में, उत्तरवर्ती वित्त वर्ष के अधिकतम 30 सितंबर तक प्रस्तुत करेंगे।

(3) नोडल अधिकारी की रिपोर्टें तथा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर सरकार द्वारा नोडल अधिकारी को दिए गए दिशा-निर्देश, यदि कोई हों, समय-समय पर पब्लिक डोमेन में रखे जाएंगे

अनुसूची

सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 तथा सांख्यिकीय संग्रहण नियमावली,2011 की कार्यप्रणाली पर वित्त वर्ष _____ के लिए भारत सरकार के नोडल अधिकारी की वार्षिक रिपोर्ट

1. नोडल अधिकारी का नाम:

2. ऐसे मामलों की संख्या जिनमें समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के खंड 3 के अंतर्गत दिशा-निर्देश जारी किए जाने से पूर्व, आंकड़ों के संग्रहण में अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुपालन में नोडल अधिकारी से परामर्श किया गया था और उसका ब्योरा:

3. क्रम सं. 2 में उल्लिखित मामलों में से, ऐसे मामलों की संख्या जिनमें नोडल अधिकारी ने परामर्श दिया और उसका ब्योरा:

4. क्रम सं. 3 में उल्लिखित मामलों में से, ऐसे मामलों की संख्या जिनमें कारणों सहित असहमति दी गई थी और उसका ब्योरा:

5. क्रम सं. 3 तथा 4 के संदर्भ में कार्रवाई में विलंब, यदि कोई हो, का विवरण तथा उसके कारणों का ब्योरा:

6. ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें संगृहीत की जाने वाली सूचना की मदों को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व, अन्य सरकारी विभागों की आवश्यकताओं को सम्मिलित किए जाने के संदर्भ में, नियमावली के नियम 6 (ii) के अनुपालन में नोडल अधिकारी से परामर्श किया गया था:

7. अधिनियम के खंड 3 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों और नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त अधिसूचनाओं की संख्या:

(i) आरंभ (16 मई 2011) से लेकर:

(ii) रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान:

8. अधिनियम के खंड 4 के अंतर्गत नियुक्त सांख्यिकी अधिकारियों की संख्या तथा नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त अधिसूचनाओं की संख्या:

(i) आरंभ (16 मई 2011) से लेकर:

(ii) रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान:

9. क्या नोडल अधिकारी के कार्यालय में सांख्यिकी अधिकारियों का रजिस्टर (नियमावली के नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (ए) के अंतर्गत यथापेक्षित) डिजीटल डेटाबेस में रखा जा रहा है, यदि हां तो उसका संक्षिप्त विवरण और यदि नहीं तो उसके कारण:

10. क्या विभिन्न विभागों अथवा राज्य में राज्यों/स्थानीय शासनों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए इकाई स्तरीय आंकड़ों सहित, अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत या अन्यथा एकत्र की गई, सांख्यिकी की उपलब्धता के संबंध में सूचना [नियमावली के नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख)) के अंतर्गत यथाअपेक्षित], का रखरखाव डिजिटल डाटाबेस में किया जा रहा है अथवा नहीं, यदि हां, तो उसका संक्षिप्त विवरण तथा यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं :

11. नोडल अधिकारी द्वारा, नियमावली के नियम 4 के उपनियम(1) के खण्ड (ग) के अनुपालन में, प्रशासनिक रिकॉर्ड की सांख्यिकीय क्षमता में सुधार करने के लिए किए गए उपायों संबंधी दी गई सलाह का ब्योरा:

IndiaCode

12. नोडल अधिकारी द्वारा, नियमावली के नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) के अनुपालन में, इकाई-स्तरीय आंकड़ों सहित सांख्यिकीय सूचना की साझेदारी को प्रोत्साहित करने तथा सुलझाए गए विवाद/मतभेद, यदि कोई हों, संबंधी जारी किए गए निर्देशों का ब्योरा:

13. इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, अधिनियम की कार्यप्रणाली पर अन्य विभागों आदि से नियमावली के नियम 4 के उपनियम (2) के खण्ड (ड.) के अंतर्गत यथाउपलब्ध रिपोर्टें, यदि कोई है, का ब्योरा:

14. नोडल अधिकारी को सूचित शिकायतें तथा अभियोजन मामले, यदि कोई हों, का ब्योरा:

15. किसी भी प्रकार के सांख्यिकीय संग्रहण में सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 तथा इसके अधीन बने नियमों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में नोडल अधिकारी को सूचित की गई किसी भी प्रकार की कठिनाई का ब्योरा:

16. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 तथा इसके तहत बने नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण/संवेदीकरण कार्यक्रमों का ब्योरा तथा ऐसे कार्यक्रमों की संख्या जिनमें नोडल अधिकारी ने भाग लिया:

17. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 तथा इसके तहत बने नियमों को कार्यान्वित करने में सामने आई कठिनाइयों तथा कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में (रिकॉर्ड के आधार पर) नोडल अधिकारी का मूल्यांकन:

18. नोडल अधिकारी की पिछली वार्षिक रिपोर्टों तथा उनके अनुपालन की विधि के संबंध में रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सरकार के निर्देश, यदि कोई हों:

IndiaCode

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम तथा पदनाम तथा दिनांक)

[फाइल संख्या वाई-18020/16/2018-सी ए पी]

अरूण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2018

S.O. 4857(E).—In exercise of the powers conferred under sub-rule (1) of rule 3 of the Collection of Statistics Rules, 2011,the Additional Director General handling statistical coordination in the Ministry of Statistics and Programme Implementation is hereby designated, with the approval of the competent authority, as the Nodal Officer for exercising powers and performing duties under the aforesaid rules. The nodal officer shall submit reports to the Central Government as required under clause (e), sub-rule (1) of rule 3 of the Rules in the manner prescribed below:-

(1) Based on the material available with him on record, the nodal officer shall submit a report latest by the end of November, 2018, on the working of the Collection of Statistics Act 2008 and the Collection of Statistics Rules, 2011 during the period 16th May 2011, the date of commencement of the Collection of Statistics Rules, 2011 and 31stMarch, 2018.

(2) For the financial years commencing with the year 2018-19, the nodal officer shall submit annual reports for each financial year in the format given in the Schedule to this Notification, latest by 30thSeptember of the subsequent financial year.

2. The reports of the nodal officer and the directions, if any, of the Government issued to the nodal officer on the basis of the reports submitted shall be placed in the public domain from time to time.

SCHEDULE

Annual Report

of nodal officer in the Government of India for the financial year _____
on the working of the Collection of Statistics Act 2008
and the Collection of Statistics Rules, 2011

1. Name of the nodal officer:

2. No. of cases in which the nodal officer was consulted in compliance to rule 5 of the Rules on avoiding unnecessary duplication in collection of statistics before issuing a direction by the appropriate Government under section 3 of the Act and the details thereof:

3. No. of cases, out of cases mentioned at s. no. 2, in which the nodal officer rendered advice and the details thereof:

4. No. of cases, out of cases mentioned at s. no. 3, in which disagreement along with reasons was furnished and the details thereof:

5. Details of delays, if any, in the process in respect of s. nos. 3 and 4, and reasons thereof:

6. No. of cases in which the nodal officer was consulted, in compliance to rule 6 (ii) of the Rules, on inclusion of the requirements of other Government Departments before finalizing items on which information is to be collected:

7. No. of directions issued under section 3 of the Act and the Notifications received by the nodal officer:

(i) Since start (16th May 2011):

(ii) During the period under report:

8. No. of statistics officers appointed under section 4 of the Act and the notifications received by the nodal officer:

(i) Since start (16th May 2011):

(ii) During the period under report:

9. Whether a register of statistics officers [as required under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 4 of the Rules] is being maintained in the office of the nodal officer in a digital database and if so, the summary details thereof and if not, the reasons thereof:

10. Whether information [as required under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 4 of the Rules], on availability of statistics including unit-level data, whether collected under the provisions of the Act or not, with different Departments / as provided by nodal officers in the States / local governments in the State, as the case may be, is being maintained in a digital database and if so, the summary details thereof and if not, the reasons thereof:

11. Details of advice given by the nodal officer, in compliance to clause (c) of sub-rule (1) of rule 4 of the Rules, on steps to improve the statistical potential of administrative records:

12. Details of instructions issued by the nodal officer, in compliance to clause (d) of sub-rule (1) of rule 4 of the Rules, on promoting the sharing of statistical information including unit-level data and disputes/ differences of opinion, if any, resolved:

13. Details of reports, if any, obtained [as provided under clause (e) of sub-rule (2) of rule 4 of the Rules] from other Departments etc., on the working of the Act, for preparation of this report:

14. Details of complaints and prosecution cases, if any, reported to the nodal officer:

15. Details of any difficulty reported to the nodal officer, in implementing the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 and the Rules made thereunder, for any type of collection of statistics:

16. Details of Training/ sensitization programmes organized on implementation of the Collection of Statistics Act, 2008 and the Rules made thereunder and the no. of programmes in which the nodal officer participated:

IndiaCode

17. Assessment of the nodal officer (on the basis of records) on the difficulties faced in implementation of the Collection of Statistics Act, 2008 and the Rules made thereunder and on making the law more effective:

18. Directions of the Government, if any, on the previous Annual Reports of nodal officer and the manner in which they were complied with, during the period under report:

Signature of the nodal officer

(Name & Designation with Date)

[F. No. Y-18020/16/2018-CAP]

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.20 10:44:10 +05'30'